झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

विषय–सूची

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2020 (झारखण्ड अधिनियम–08, 2020) की धारा 1 में संशोधन।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (झारखण्ड अधिनियम - 8, 2020) में संशोधन हेतु विधेयक ।

भारतीय गणतंत्र के बहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः

1. संक्षिप्त नाम एंव प्रारम्भ-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कहा जाएगा।

(2) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध झारखण्ड सरकार द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. धारा 1 के उपधारा (3) का संशोधन -

(1) झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(i) इस अधिनियम की धारा 11, धारा 14, धारा 18 एवं धारा 30 को क्रमशः तारीख 10 नवम्बर, 2020, तारीख 01 सितम्बर, 2020, तारीख 01 सितम्बर, 2019 एवं 31 मार्च, 2020 से प्रवृत माना जाएगा;

(ii) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अन्य उपबंध उस तारीख से प्रवृत होंगे, जो झारखण्ड सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे;"।

वित्तीय संलेख

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में समय–समय पर किए गए संशोधनों के आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019, झारखण्ड माल और सेवा कर (कतिपय प्रावधानों में छूट) अध्यादेश, 2020 एवं झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 निर्गत किया गया था। उक्त तीनो अध्यादेशों को अधिनियमित करने हेतु विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0–11/2017–381/लेज0 एवं 382/लेज0 दिनांक 18.11.2020 के द्वारा झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (झारखण्ड अधिनियम संख्या–08, 2020) निर्गत की गई थी। उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (i) एवं (ii) में परिलक्षित प्रवृत होने की तारीख से संबंधित कतिपय त्रुटियों के निराकरण की आवश्यकता है।

प्रस्तावित **झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021** पर योजना–सह–वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

भार–साधक सदस्य

उदेश्य एवं हेतु

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में समय–समय पर किए गए संशोधनों के आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019, झारखण्ड माल और सेवा कर (कतिपय प्रावधानों में छूट) अध्यादेश, 2020 एवं झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 निर्गत किया गया था। उक्त तीनो अध्यादेशों को अधिनियमित करने हेतु विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0–11 /2017–381/लेज0 एवं 382/लेज0 दिनांक–18.11.2020 के द्वारा झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (झारखण्ड अधिनियम संख्या–08, 2020) निर्गत की गई थी। उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (i) एवं (ii) में परिलक्षित प्रवृत होने की तारीख से संबंधित कतिपय त्रुटियों के निराकरण की आवश्यकता है ताकि उक्त अधिनियम के तत्संबंधी धाराओं में अनुभूत व्यवहारिक कठिनाईयों एवं प्रशासनिक उदेश्यों की पूर्ति हो सके।

एतदर्थ झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 के माध्यम से झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2020 में परिलक्षित त्रुटियों का निराकरण करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(रामेश्वर उराँव)
भार–साधक सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 23(A)--200--8-3-2021 ।